रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD NO D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 21, 2000/अग्रहायण 30, 1922

No. 293] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 21, 2000/AGRAHAYANA 30, 1922

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2000

अंतिम जांच परिणाम

विषय : चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 3, 4, 5-ट्राईमैथोक्सी बेन्जाल्डीहाइड एडीहाइड (टीएमबीए) के आयात से संबंधित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा—अन्तिम जांच परिणाम

फा. सं. 17/1/2000-डीजीएडी.—1995 में यथा-संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए :

क. प्रक्रिया

1. नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:-

(i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2000 की अधिसूचना सं. 17/1/2000-डीजीएडी द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी जो 8 मार्च, 1999 की अधिसूचना सं. 38/1/97-एडीडी द्वारा चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 3,4,5-ट्राई मेथोक्सी बेन्जाल्डीहाइड (इसके बाद इन्हें टीएमबीए कहा जाएगा) के आयातों पर सिफारिश किए गए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क और दिनांक 24 अप्रैल, 1999 की अधिसूचना सं. 46/99-सीमाशुल्क के द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए गए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा शुरू करने के बारे में थी ।

(ii) प्राधिकारी द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 1995 की अधिसूचना सं. 9/10/94 के द्वारा पूरी की गई जांचों को मूल जांच कहा गया है ।

(iii) प्राधिकारी द्वारा दिनांक 8 मार्च, 1999 की अधिसूचना सं. 38/1/97-एडीडी द्वारा पूरी की गई जांच को 'पूर्व जांच' कहा गया है ।

(iv) प्राधिकारी द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित दिनांक 15 मार्च, 2000 की सार्वजनिक सूचना जारी की गई जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची-I के सीमाशुल्क उप-शीर्ष 2912.4904 के तहत वर्गीकृत टीएमबीए के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा शुरू करने से संबंधित थी ;

(v) प्राधिकारी द्वारा सभी ज्ञात निर्यातकों तथा उद्योग संघों (जिनके ब्यौरे मूल जांच मे याचिकाकर्त्ता मै0 अल्फाड्रग इंडिया लि. द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी गई, औरनियम 6(2) के अनुसार उन्हें यह अवसर दिया गया कि वे अपने विचारों से लिखित रूप में अवगत कराएं;

(vi) प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भारत में टीएमबीए के सभी ज्ञात आयातकों तथा उपभोक्ताओं को भेजी (जिनके ब्यौरे मूल जांच में याचिकाकर्त्ता मै. अल्फा ड्रग इण्डिया लि. द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) और उन्हें इस पत्र की तारीख से 40 दिन के भीतर अपने विचार लिखित रूप में भिजवाने की सलाह दी थी ।

(vii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) से अनुरोध किया गया कि वे समीक्षा की अवधि सहित तीन वर्षों के दौरान भारत मे किए गए टीएमबीए के आयातों के ब्यौरे उपलब्ध कराएं;

(viii) प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य के टीएमवीए के निम्नलिखित विनिर्माताओं को एक प्रश्नावली भेजी । तथापि इन कम्पनियों के प्रश्नावलियों का उत्तर नहीं दिया:-

- चाइना नेशनल कैमिकल्स, चीन
- बीजिंग कैमिकल्स इम्पोर्ट एंड एक्पोर्ट कारपोरेशन, चीन
- चाइना चोंगिंग इंटरनेशनल फार इकोनोमिक एंड टैक. कारपोरेशन, चाइना
- गुंआगडोन जैयांग फारेन ट्रेड इक्वामिक डेवलपमैंट कं., चाइना
- सिनो-कैम, चाइना

(ix) नियम 6(2) अनुसार चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास को समीक्षा शुरू करने के बारे में इस अनुरोध के साथ सूचित किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को उक्त प्रश्नावली का उत्तर निर्धारित समय के भीतर देने की सलाह दें । ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची के साथ निर्यातकों को भेजे गए पत्र तथा प्रश्नावली की एक प्रति भी दूतावास को भेजी गई थी । तथापि किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने उत्तर नहीं दिया ।

(x) नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए भारत में टीएमबीए के निम्नलिखित आयातकों और/अथवा उपभोक्ताओं को एक प्रश्नावली भेजी गई:-

* फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्टस ऑफ इंडिया लि., बम्बई
* औरो लैब्स प्रा. लि. बम्बई
* सूकैम लैबोरेटरीज, अहमदाबाद
* शाबा कैमिकल्स लि., रतलाम
* बोम्बे ड्रग एंड फार्मा लि., थाणे
* अपूर्व कामर्शियल लि., कलकत्ता
* बुरोज वैलकम (इंडिया) लि., बम्बई
* प्रगति फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि. नैनीताल
* जर्मन रेमीडीज लि., बम्बई
* कोस्मिक ड्रग्स एंड कैमिकल्स प्रा. लि., इन्दौर
* हाई-टैक, रतलाम
* पान इण्डिया ड्रग्स एंड कैमिकल्स लि., इन्दौर
* जोरा फार्मा लि., अहमदाबाद
* सोल फार्मास्यूटिकल्स लि0, हैदराबाद
* उड़ीसा आर्गेनिक्स लि., उड़ीसा
* समसति आर्गेनिक्स प्रा. लि., शोलापुर
* वैस्ट बंगाल फार्मा एवं फाइटोकैमिकल्स डेवलमैंट कारपोरेशन लि., कलकत्ता
* आईपीसीए लैब्स लि., बम्बई
* कोरोमंडल फार्मा लि., मेडक

(ix) आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए मै. अल्फा ड्रग इंडिया लि., जो घरेलू उद्योग है, को एक प्रश्नावली भेजी गई । मै. अल्फा ड्रग्स इण्डिया लि. ने इसका उत्तर दे दिया ।

(x) प्राधिकारी ने मौखिक विचार सुनने के लिए 25.7.2000 को सार्वजनिक सुनवाई की थी । जिसमें मै. अल्फा ड्रग इंडिया लि., मै. इनवैंटा कैमिकल्स लि. तथा मै. इनोटैक कैमिकल्स लि. ने भाग लिया । नियम 6(6) के अनसार सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने वाले पक्षों से मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था । घरेलू उद्योग अर्थात् मै. अल्फा ड्रग्स तथा अन्य हितबद्ध पक्षों जैसे मै. इनवैंटा कैमिकल्स लि. तथा मै. इनोटैक कैमिकल्स लि. से लिखित में अनुरोध प्राप्त हुए । उन पर प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है ।

(xi) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर को एक सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध किया और उसे किसी भी हितबद्ध पक्ष के निरीक्षण हेतु खुला रखा ।

(xiv) यह जांच 1 जनवरी,1999 से 31 दिसम्बर, 1999 तक की अवधि के लिए थी

(xv) *** चिह्न इस अधिसूचना में याचिकाकर्त्ता द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का घोतक है और नियमों के अनसार प्राधिकारी ने इसे गोपनीय ही माना है ।

(xvi) उक्त नियम के नियम 16 के अनसार इन निष्कर्षों के लिए विचारित जरूरी तथ्यों/आधार का खुलासा सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षों के समक्ष कर दिया गया था और उन पर प्राप्त टिप्पणियों, यदि कोई हों, पर इन निष्कर्षों में विधिवत विचार किया गया है ।

ख मै0 अल्फा ड्रग इंडिया लि. के विचार

2. घरेलू उद्योग अर्थात् मै0 अल्फा ड्रग इंडिया लि. ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं;

(क) 3,4,5-ट्राइमेथोक्सी बैंजाल्डीहाइड का उपयोग उत्पादकों द्वारा ट्राइमेथोप्रिम के उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर किया जा रहा है । यद्यपि 3,4,5-ट्राइमेथोक्सी बैंजाल्डीहाइड के बाजार में समस्त मांग काफी सीमित है तथापि काफी कम कीमतों पर इसके निर्यातों से न केवल गम्भीर क्षति होगी अपितु आयातित उत्पाद के उपभोक्ता को अनावश्यक और अनुचित लाभ भी होगा क्योंकि वह भारतीय बाजार में अपने अंत्य उत्पाद को सस्ते मूल्य पर बेचने की स्थिति में होगा । इस प्रकार कम कीमतों पर 3,4,5-ट्राइमेथोक्सी बैंजाल्डीहाइड के आयातों से न केवल 3,4,5-ट्राइमेथोक्सी बैंजाल्डीहाइड के बाजार म क्षति होगी अपितु ट्राइमेथोप्रिम के बाजार में भी क्षति होगी ।

(ख) चीन जनवादी गणराज्य से निर्यातकों ने 3,4,5-ट्राइमेथोक्सी बैंजाल्डीहाइड के पाटन को तेल कर दिया है । चीन जनवादी गणराज्य से निर्यात कीमत पिछली जांच में 13.80 अमरीकी डालर/किग्रा. थी जो कम हो कर समीक्षा जांच में 10.70 अमरीकी डालर प्रति किग्रा. हो गई थी और समीक्षा अवधि में 7.82 अमरीकी डालर/किग्रा. रह गई है ।

(ग) घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क को अमरीकी डालर में लगाने की सिफारिश की जाए क्योंकि प्राधिकारी द्वारा पहले सिफारिश किए गए शुल्क का लाभ यूएस डालर की तुलना में भारतीय रूपए के अवमूल्यन की वजह से काफी हद तक समाप्त हो गया है ।

(घ) घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि "हैंडलिंग प्रभार के नाम पर कोई भी हैंडलिंग प्रभार" वस्तुओं का आयात करने के लिए आयातक द्वारा देय नहीं है । चूकि क्षति रहित कीमत पर कारखाना द्वार स्तर पर विचार किया जाता है, इसलिए पहुंच मूल्य पर भी पत्तन द्वार स्तर पर विचार किया जाना चाहिए । तदनुसार आयातों की पहुॅंच कीमत का आकलन करने के लिए 2% के उतराई प्रभार पर विचार किए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

(ग) **निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार**

3. अन्य हितबद्ध पक्ष अर्थात मैसर्स इनवेटा कैमिकल्स लि., हैदराबाद और मैसर्स इंफोटैक फार्मा लि., मुंबई, जिन्होने सार्वजनिक सुनवाई में भाग लिया था, ने अपने अनुरोधो मे घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए तर्को का समर्थन किया है और अनुरोध किया है कि 3,4,5-ट्राइमैथोक्सी बिंजाल्डीहाइड पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखा जाए ।

(घ) **प्राधिकारी द्वारा जांच**

4. मैसर्स अल्फा ड्रग इंडिया लि, आयातकों, उपभोक्ताओं,अन्य हितबद्ध पक्षो द्वारा किए गए अनुरोधो की नियमानुसार जांच की गई है, उन पर विचार किया गया है और जहां उचित हुआ वहा इसके बाद कार्रवाई की गई है ।

(ङ.) **विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में किसी हितबद्ध पक्ष ने कोई तर्क नहीं दिया है । विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तुओं के बारे में पूर्ववर्ती जांचो मे अधिसूचित अतिम निर्णय अपरिवर्तनीय हैं ।

(च) **घरेलू उद्योग**

6. भारत में टी एम बी ए के चार उत्पादक हैं । मैसर्स अल्फा ड्रग इंडिया लि को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक टी एम बी ए का थोक विक्रेता नहीं है । क्योंकि सभी अन्य उत्पादक ट्रीईमथोप्रिम के विनिर्माण के लिए उनके द्वारा उत्पादित टी एम बी ए का कैप्टिव रूप से उपयोग करते हैं । मैसर्स अल्फा ड्रग इंडिया लि. भारत मे टी एम बी ए का एक मात्र बाजार उत्पादक है और वह नियमानुसार घरेलू उद्योग की स्थिति और अपेक्षा को पूरा करता है । तदनुसार, घरेलू उद्योग के बारे मे पूर्व अधिसूचित अंतिम निर्णय अपरिवर्तनीय हैं ।

(छ) पाटन

सामान्य मूल्य

7. प्राधिकारी ने धारा 9(क)(1) ग के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ ज्ञात निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी, तथापि किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी को न तो कोइ जबाब दिया और न ही कोई सूचना प्रस्तुत की, इसलिए प्राधिकारी यह मानते है कि संबद्ध देश के किसी भी निर्यात ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है जैसाकि नियमों के तहत अपेक्षित है । प्राधिकारी का यह भी मानना है कि चीन जनवादी गणराज्य मे टी एम बी ए के सामान्य मूल्य को

प्रमाणित करने की प्राथमिक जिम्मेवारी उन निर्यातकों/उत्पादकों की बनती है, जो प्राधिकारी को सहायोग देने में विफल रहे हैं ।

8. प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि समीक्षा अवधि के दौरान चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित टी एम बी ए का आयात हुआ है । लेकिन समीक्षा अवधि के दौरान टी एम बी ए के आयातकों ने प्राधिकारी को सहयोग नहीं दिया है और कोई सूचना नहीं दी है ।

9. अतः प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान प्रचलित दशाओं के आधार पर टी एम बी ए के सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है । इस प्रयोजनार्थ कच्ची सामग्रियों की खपत को मैसर्स अल्फा ड्रग इंडिया लि. की कच्ची सामग्रियों की खपत के मानदंडों के आधार पर स्वीकार किया गया है । कच्ची सामग्री की दरें संबद्ध देश से आयातित कच्ची सामग्रियों के मामले में सीमा शुल्कों में समुचित समायोजन करने के पश्चात घरेलू बाजार में यथा प्रचालित दरों के अनुसार स्वीकार की गई हैं । परिकलित लागत के प्रयोजनार्थ मैसर्स अल्फा ड्रग इंडिया लि. की परिवर्तन लागत को चीन में यथा प्रचलित लागत के रूप में स्वीकार किया है । जांच के दौरान टी एम बी ए का सामान्य मूल्य निकालने के लिए निवेशों पर होने वाली आय के लिए उचित समायोजन की अनुमति दी गई है ।

(ज) **निर्यात कीमतः**

10. डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता द्वारा संकलित की गई सूचना के आधार पर टी एम बी ए की निर्यात कीमत स्वीकार की गयी है । चूंकि डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता की सूचना के अनुसार भारत में सी आई एफ की कीमतें हैं इसलिए चीन जनवादी गणराज्य में टी एम बी ए की कारखानागत कीमत निकालने के लिए विदेशी भाड़े, बीमा प्रभारों, स्वदेशी भाड़े के लिए उचित समायोजन किया गया है ।

11. चूंकि भारत के आयातकों और संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है इसलिए प्राधिकारी ने अलग-अलग निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं किया है । प्राधिकारी ने भारित औसत निर्यात कीमत के साथ सामान्य मूल्य की तुलना करने और सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना के उद्देश्य से मैसर्स अल्फा ड्रग इंडिया लि. द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का उपयोग किया है क्योंकि पर्याप्त साक्ष्यो के साथ किसी अन्य पक्ष ने कोई तथ्यपरक सूचना उपलब्ध नहीं की है । इस तुलना पर कारखाना आधार पर विचार किया गया है । इस तुलना से निर्यात कीमत का 90 प्रतिशत का पाटन मार्जिन प्रदर्शित होता है ।

(झ) **क्षति एवं कारणात्मक संबंध**

12. प्राधिकारी ने पाया है कि संबद्ध देश से संब सामान का देश में घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिरहित कीमत से काफी कम पहुंच मूल्य पर आयात हो रहा है । तथापि, घरेलू उद्योग पर प्रभाव डालने वाले किसी एक अथवा सभी आर्थिक मानदंडों में सुधार, यदि कोई हो, चीन जनवादी

गणराज्य से संबद्ध सामानों के आयातों के खिलाफ प्रभावी मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के फलस्वरूप हो सकता है ।

तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई जांच से यह प्रकट हो गया है कि चीन से हुए पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है जो विभिन्न मानदंडों में परिलक्षित है जैसे:-

(क) टी एम बी ए की सी आई एफ कीमतों में गिरावट के फलस्वरूप घरेलू बाजार में औसत बिक्री वसूली में गिरावट आई है । इससे घरेलू उद्योग को आयातों के गिरते मूल्य के अनुरूप अपनी बिक्री कीमतें कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा ।

(ख) चीन जनवादी गणराज्य से निर्यात कीमतों के निम्न स्तर के कारण, घरेलू उद्योग नुकसान रहित कीमतों पर घरेलू बाजार में उत्पाद को नहीं बेच पाया जिससे राजस्व की हानि हुई ।

(ग) जांच अवधि के दौरान निर्यात कीमतों में काफी गिरावट रही और निर्यात कीमतें चीन में टी एम बी ए के सामान्य मूल्य की अपेक्षा काफी कम रही ।

(घ) घरेलू उद्योग को पाटन के कारण अपनी पूर्ण क्षमता और उचित वृद्धि प्राप्त करने से रोका गया ।

उपरोक्त मानदंड संयुक्त एवं संचयी रूप से यह स्पष्ट करते हैं कि घरेलू उद्योग को पटित आयातों से वास्तविक क्षति हुई है/क्षति होने का खतरा है । इसके अलावा, चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले टी एम बी ए के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने से घरेलू उद्योग को क्षति होती रहेगी अथवा क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

(ञ) **अंतिम निष्कर्ष**

13. उपरोक्त पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

- चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित टी एम बी ए का भारत मे सामान्य मूल्स से कम मूल्य पर निर्यात किया गया है;
- यदि प्रभावी पाटनरोधी शुल्क समाप्त किया जाता है तो घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होगी;

- यदि प्रभावी पाटनरोधी शुल्क समाप्त किया जाता है तो चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति होगी ।

- चीन जनवादी गणराज्य से होने वाल टी एम बी ए के आयातो पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने से घरेलू उद्योग को क्षति होती रहेगी अथवा क्षति की पुनरावद्धि होने की संभावना है ।

14. तदनुसार, चीन जनवादी गणराज्य मूल के अथवा वहां से निर्यातित टी एम बी ए के आयातो पर पाटनरोधी शुल्क लगाए रखना उचित समझा गया है ।

15. इस पर विचार किया गया था कि क्या पूर्व में संस्तुत शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को रोकने के लिए पर्याप्त होगा। पाटनरोधी शुल्क की राशि पाटनमार्जिन के बराबर अथवा ऐसे कम शुल्क की सिफारिश करने पर विचार किया गया था जिसे, यदि लगाया जाए तो उससे घरेलू उद्योग की क्षति समाप्त हो जाएगी । इस उद्देश्य से आयातो की भारित औसत पहुंच कीमत की तुलना जांच अवधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग की क्षति रहित बिक्री कीमत से की गई थी । जहां यह अंतर उपरोक्त यथा निर्धारित पाटन मार्जिन से कम था, वहां पाटन मार्जिन से कम शुल्क लगाने की सिफारिश की गई है । तदनुसार यह प्रस्ताव किया जाता है कि सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 29 के तहत आने वाले चीन जनवादी गणराज्य मूल के या वहां से निर्यातित सभी टी एम बी ए के आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध मे जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से 4.31. अमरीकी डालर प्रति किग्रा. की दर से पाटन रोधी शुल्क लगाया जाए ।

16. इस प्रयोजन के लिए आयातों का लैंडिड मूल्य, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन सीमाशुल्क द्वारा तय किया गया आकलन योग्य मूल्य होगा और कस्टम टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3ए, 8 बी, 9या ९क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों के अलावा सभी शुल्क इसमें शामिल होंगे ।

17. इस आदेश के विरूद्ध अपील उपरोक्त अधिनियम के अनुसरण में सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण मे की जा सकती है ।

एल. वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2000

FINAL FINDINGS

Subject : Sunset Review of Anti Dumping Duty concerning imports of 3, 4, 5 Tri-Methoxy Benzaldehyde (TMBA) originating in or exported from Peoples Republic of China—Final Findings.

F. No. 17/1/2000-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof.

A. PROCEDURE

1. The Procedure described below has been followed:

(iii) The Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) issued a public notice vide Notification No.17/1/2000-DGAD dated the 15th March, 2000, initiating review of definitive Anti-Dumping Duty recommended on imports of 3,4,5-Tri-Methoxy Benzaldehyde(herein referred to as TMBA) originating in or exported from Peoples Republic of China vide Notification No. 38/1/97-ADD dated the 8th March, 1999 and definitive Anti-Dumping Duties imposed by the Central Government vide Notification No. 46/99-Customs dated the 24th April, 1999.

(iv) The investigations concluded by the Authority vide Notification No. 9/10/94 dated the 24th July, 1995 have been referred to as "the original investigation".

(v) The investigation concluded by the Authority vide Notification No.38/1/97-ADD dated the 8th March, 1999 have been referred to as "the previous investigation."

(vi) The Authority issued a public notice dated 15th March, 2000 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating review of Anti-Dumping Duty concerning imports of TMBA, classified under Custom sub heading 2912.4904 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975;

(vii) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known exporters and industry associations(whose details were made available by M/s. Alpha Drug India Ltd., the petitioner in the original investigations) and gave them an opportunity to make their views known in writing in according with the rule 6(2);

(viii) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers and consumer of TMBA in India (whose details were made available by M/s. Alpha Drug India Ltd., the petitioner in the original investigations) and advised them an opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter;

(ix) Request was made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) to arrange details of imports of TMBA in India during the past three years, including the period of review;

(x) The Authority sent a questionnaire, to the following manufacturers of TMBA in the Peoples Republic of China, in accordance with the rule 6(4). These companies, however, have not filed response to the questionnaire:-

- China National Chemicals, China.
- Beijing Chemicals Import and Export Corporation, China.
- China Chongging International for Economic & Tech. Corporation, China.
- Guangdong Jieyang Foreign Trade Economic Development Co., China.
- Sino-Chem, China.

(xi) The Embassy of Peoples Republic of China in New Delhi was informed about the initiation of the review in accordance with rule 6(2) with a request to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter and questionnaire sent to the exporters was also sent to the Embassy, alongwith a list of known exporters/producers. None of the exporters/producers, however, filed any response;

(xii) A questionnaire was sent to the following importers and/or consumers of TMBA in India calling for necessary information in accordance with rule 6(4);

- Pharmaceuticals Products of India Ltd., Bombay.
- Auro Labs Pvt. Ltd., Bombay.
- Suchem Laboratories, Ahmedabad.
- Shaba Chemicals Ltd., Ratlam.
- Bombay Drug & Pharmas Ltd., Thane.
- Apurva Commercial Ltd., Calcutta.
- Burroughs Wellcome(India) Ltd., Bombay.
- Pragati Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Nainital.
- German Remedies Ltd., Bombay.
- Cosmic Drugs & Chemicals Pvt. Ltd., Indore.
- Hi-Tech., Ratlam.
- Pan India Drugs & Chemicals Ltd., Indore.
- Zora Pharma Ltd., Ahmedabad.
- Sol Pharmaceuticals Ltd., Hyderbad.
- Orissa Organics Ltd., Orissa.
- Smruthi Organics Pvt. Ltd., Solapur.
- West Bengal Pharma & Phytochemicals Development Corp. Ltd., Calcutta.
- IPCA Labs Ltd., Bombay.
- Coromandel Pharma Ltd., Medak.

(xiii) A questionnaire was sent to M/s. Alpha Drug India Ltd., the Domestic Industry, calling for necessary information. M/s. Alpha Drug India Ltd. filed its response.

(xiv) The Authority held a public hearing on 25.7.2000 to hear the views orally, which was attended by M/s. Alpha Drug India Ltd., M/s. Inventaa Chemicals Ltd. and M/s. Innotech Chemicals Ltd. In accordance with Rule 6(6), the parties attending the public hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally. Written submission has been received from the Domestic Industry i.e. M/s. Alpha Drugs and other interested parties namely: M/s. Inventaa Chemicals Ltd. and M/s. Innotech Chemicals Ltd. The same has been considered by the Authority;

(xv) The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained and kept open for inspection by any interested party;

(xvi) Investigation was carried out for the period starting from 1st January, 1999 to 31st December, 1999.

(xvii) **** in this notification represents information furnished by the petitioner on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

(xviii) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to all known interested parties and comments received, if any, on the same have also been duly considered in these findings.

B. **VIEWS OF M/S. ALPHA DRUG INDIA LTD:**

2. The Domestic Industry i.e. M/s. Alpha Drug India Ltd. have made the following submissions:-

(a) 3,4,5-Trimethoxy Benzaldehyde is largely consumed by the Producers for production of Trimethoprim. Though the entire merchant demand of the 3,4,5-Trimethoxy Benzaldehyde in the country is quite limited, exports at significantly low prices would not only cause serious injury but also would give undue and unfair advantage to the consumer of imported product as it would be in a position to sell its end product cheaper in the Indian market. The imports of 3,4,5-Trimethoxy Benzaldehyde at low prices would thus cause injury not only in the 3,4,5- Trimethoxy Benzaldehyde market but also in the Trimethoprim market.

(b) The Exporters from China P.R. have intensified their dumping of the 3,4,5-Trimethoxy Benzaldehyde. The Export Price from China P.R. has declined very significantly from US$13.80 per Kg. in the past investigation to US$10.77 per Kg. in the review investigation and to US$7.82 per Kg. in the review period.

(c) Domestic Industry has also requested that the Anti Dumping Duty be recommended in US $ as benefit of the duty earlier recommended by the Authority has already eroded to a great extent by depreciation of Indian Rupee as compared to US $.

(d) The Domestic Industry has submitted that no handling charges in the name of "handling charges" are payable by an importer for importing the goods. Since the non-injurious price is being considered at ex factory level, the landed price should also be considered at ex-port level. Accordingly two percent landing charges is not required to be considered for calculation of landed price of imports.

C. **VIEWS OF EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES:**

3. Other interested parties namely: M/s. Inventaa Chemicals Limited, Hyderabad and M/s. Innotech Pharma Ltd., Mumbai, who attended the Public Hearing have in their written submissions endorsed the arguments raised by Domestic Industry and have requested that Anti Dumping Duty on 3,4,5-Trimethoxy Benzaldehyde be continued.

D. **EXAMINATION BY AUTHORITY**:

4. Submissions made by M/s. Alpha Drug India Ltd., importers, consumers and other interested parties have been examined, considered and, wherever appropriate, dealt hereinafter with reference to the Rules.

E. **PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE:**

5. There is no argument raised by any interested party with regard to product under consideration and like article. The Final Findings notified in the previous investigations with regard to the product under consideration and like articles remain unchanged.

F **DOMESTIC INDUSTRY**

6. There are four producers of TMBA in India. Except M/S Alpha Drug India Ltd. no other producer has merchant sales of TMBA as all other producers captively consume TMBA produced by them for manufacture of Trimethoprim. M/S Alpha Drug India Ltd., is the sole market producer of TMBA in India and satisfies the condition of standing and requirement of Domestic Industry under the Rules. Accordingly the Final Findings notified earlier with regard to the Domestic Industry remain unchanged.

G. **DUMPING:**

NORMAL VALUE:

7. The Authority sent exporter' questionnaire to the known exporters for the purpose of determination of Normal Value in accordance with Section 9A(1)c. However, none of the exporters responded to the Authority nor furnished any information. The Authority, therefore, holds that none of the exporters from the subject country have co-operated with the Authority as envisaged under the Rules. The Authority also holds that the primary responsibility to establish Normal Value of TMBA in Peoples Republic of China rests with the exporters/producers, who have failed to co-operate with the Authority.

8. The Authority notes that there were imports of TMBA in India originating in or exported from Peoples Republic of China during the period of review. But the importers of TMBA during the period of review have not co-operated with the Authority and have not furnished any information.

9. The Designated Authority has, therefore constructed the Normal Value of TMBA based on the conditions prevailing during the Period of Investigation. For this purpose, the consumption of raw materials has been adopted based on the norms of consumption of raw materials of M/s. Alpha Drug India Ltd. The raw material rates have been adopted as are prevalent in the domestic market after making appropriate adjustments towards the custom duties in the case of imported raw materials from subject country. For the purpose of constructed cost, the conversion cost of M/s. Alpha Drug India Ltd. has been adopted as prevalent in China. Appropriate adjustment have been allowed for returns on investments to work out the Normal Value of TMBA during the period of investigation.

H. **EXPORT PRICE:**

10. The Export Price of TMBA has been adopted on the basis of information compiled by Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics (DGCI&S), Calcutta. Since the information as per DGCI&S, Calcutta is the CIF prices in India, appropriate adjustments have been made for the ocean freight, insurance charges and the inland freights etc., to arrive at the ex-works Export Price of TMBA in China PR.

11. Since none of the exporters from the subject country and importers in India have responded to the Authority, the Authority has not determined Dumping Margins for individual exporters. The Authority took into account the information furnished by M/s. Alpha Drug India Ltd., as no other party has furnished any factual information with sufficient evidence, for the purpose of fair comparison between the Normal Value and the Export Price and compare Normal Value with weighted average Export Price. The comparison has been considered as on ex-works basis. The comparison shows dumping margin of 90% of Export Price.

I. INJURY AND CAUSAL LINK:

12. The Authority has found that the subject goods from subject country are entering the country at a Landed Value significantly lower than the Non Injurious Price of the Domestic Industry. However, improvement, if any, in any one or all the economic parameters affecting the Domestic Industry could be a result of the existing Anti Dumping Duty in force against imports of subject goods from China P.R. It is further concluded that injury to the Domestic Industry would recur in case the Anti Dumping Duty in force is removed.

However, the investigation conducted by Designated Authority has revealed injury suffered by the Domestic Industry caused by dumping from China which is reflected in various parameters such as :-

(a) The decline in the CIF prices of TMBA have resulted in decline in the average sales realisation for the domestic market suggesting that the domestic industry was forced to reduce its sales prices corresponding with the declining value of imports.

(b) Due to lower level of Export Prices from China P.R. the Domestic Industry was not able to sell the product in the domestic market at the Non Injurious Price resulting in loss of revenues.

(c) There has been a significant decline in Export Prices during the Period of Investigation and the Export Prices have been significantly lower than the Normal Value of TMBA in China.

(d) The Domestic Industry has been prevented on account of dumping, from operating all full capacity and realise reasonable growth.

Above parameters collectively and cumulatively indicate that the Domestic Industry has suffered material injury / threat of injury due to dumped imports. Further, cessation of existing anti dumping duty on imports of TMBA from China P.R. is likely to lead to continuation or recurrence of injury to the Domestic Industry .

J. FINAL FINDINGS:

13. The Authority concludes, after considering the foregoing, that:

- TMBA originating in or exported from Peoples Republic of China has been exported to India below its Normal Value;

- The Domestic Industry would suffer material injury in case the anti-dumping duty in force is removed;

- The injury to the domestic industry would be caused from imports from Peoples Republic of China in case the anti-dumping in force is removed.

- Cessation of existing anti dumping duty on imports of TMBA from China PR is likely to lead to continuation or recurrence of injury to the Domestic Industry .

14. Accordingly, It is considered appropriate to continue the imposition of anti-dumping duty on imports of TMBA originating in or exported from Peoples Republic of China.

15. It was considered whether the duty recommended earlier would be sufficient to prevent the injury to the Domestic Industry. It was considered to recommend the amount of anti dumping duty equal to the Dumping Margin or less which if levied would remove the injury to the Domestic Industry. The weighted average Landed Price of the imports, for the purpose, was compared with the Non Injurious Price of the Domestic Industry determined for the Period of Investigation. Wherever the difference is lower than the Dumping Margin, determined as detailed here in above, a duty lower than the Dumping Margin is recommended. Accordingly, it is recommended that anti-dumping duty of US $ 4.31 per Kg. be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of TMBA, falling under Chapter 29 of the Customs Tariff, originating in or exported from Peoples Republic of China.

16. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties levied under Section 3, 3A,8B ,9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

17. An appeal against this order shall lie to the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act supra.

L V SAPTHARISHI, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054